एमआरओ/डॉस/डीओसी/2026/05157

05 मार्च, 2026

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

महोदया/महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ - अपने ग्राहक को जानें) दिशा-निर्देश, 2025 के संबंध में सलाह

भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अपने ग्राहक को जानिए) निर्देश, 2025 के संदर्भ में, पर्यवेक्षी निरीक्षण के दौरान कई आवास वित्त कंपनियों में निम्नलिखित गैर-अनुपालन देखे गए हैं:

1) पैरा 63 - केंद्रीय केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) में केवाईसी रिकॉर्ड अपलोड करने में देरी।
2) पैरा 42 - केवाईसी के आवधिक अद्यतन में देरी।
3) ग्राहक पहचान प्रक्रियाओं (सीआईपी) का पालन न करना।

2. इस संबंध में, सभी आवास वित्त कंपनियों को एतद्द्वारा सलाह दी जाती है कि वे भारतीय रिजर्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अपने ग्राहक को जानिए) निर्देश, 2025 का सख्ती से सावधानीपूर्वक अनुपालन को सुनिश्चित करें।

3. आवास वित्त कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए प्रासंगिक निर्देशों में किसी भी परिवर्तन या अपडेट के बारे में जागरूक रहना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी संशोधित आवश्यकताओं का समय पर अनुपालन किया जाए।

भवदीय,

सौरभ सील

(सौरव सील)
महाप्रबंधक
पर्यवेक्षण विभाग

राष्ट्रीय आवास बैंक
मुंबई
MUMBAI
National Housing Bank